मनुस्मृति में वर्णित राजनीति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य

डॉ॰ सुरचना त्रिवेदी

पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का पिता माना जाता है। मनु के द्वारा रचित 'मनुस्मृति' एक ऐसा धर्मशास्त्र है, जिसमें मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की समस्त जीवन शैली को वर्णित किया गया है। मनुष्य के जीवनके समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं नैतिक पहलुओं की चर्चा भी विस्तार पूर्वक की गई है। इस कारण ही भारतीय साहित्य जगत् में मनुस्मृति को सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रन्थ माना जाता है। जिसका वर्चस्व आज भी पहले की भांति विद्यमान है। हिन्दू विधि जगत में मनुस्मृति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है भविष्य के अनुगमन के लिए उन समस्त सिद्धान्तों का वर्णन ही मनुस्मृति के 12 अध्यायों में किया गया है। प्राचीन काल से ही भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से इसका सर्वप्रमुख दायित्व राजा का होता है। कहा भी गया है– **'यथा राजा तथा प्रजा'।** मनु के अनुसार राजपद धारण करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जो वीर, सत्यवादी, बुद्धिमान एवं धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो। प्रजा को पिता के वात्सल्य भाव से अपनी प्रजा के पालन व कल्याण में सदैव तत्पर रहना चाहिए। समस्त सुख और ऐश्वर्य आदि होते हुए भी निराकार भाव से उनका उपभोग करना चाहिए। राज्य, प्रजा एवं कोष की सुरक्षा एवं वृद्धि हेतु ही निरन्तर मनन एवं कार्यरत रहना चाहिए। मनु के अनुसार राजा का पद प्रजा से कर ग्रहण करके कोष बढ़ाना नहीं है, वरन् उचित मात्रा में कर लेकर उस धन का प्रजा के कल्याण एवं रक्षा हेतु ही पुनः उपयोग करना है। शायद इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण ही प्राचीन काल के भारत की संस्कृति एवं राज्य व्यवस्था पूरे विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखती थी। वतर्मान समय में भी देश का एक राजा जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जनता के ही द्वारा चुना जाता है, किन्तु आज हम देश में प्रत्येक स्तर पर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। विश्व में अपनी वह पुरानी उत्कृष्ट छवि खोते जा रहे हैं। सरकार की अस्थिरता व जीवन मूल्य गिरते–मिटते जा रहे हैं।

अतः प्रस्तुत लेख में मनु द्वारा प्रतिपादित तत्कालीन राजनीति व्यवस्था एवं वर्तमान में चल रही राजनीति व्यवस्था का विवेचन करने का संक्षिप्त प्रयास किया गया है। जिसके द्वारा हम अपनी राजनीति के दूषित तथ्यों को समझकर उसे शुद्ध करने का प्रयास करें एवं भारत को पुनः विश्व गुरू होने का अवसर प्राप्त हो।

विश्व की समस्त प्राचीनतम सभ्यताओं के ऊपर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अपना एक विशिष्ट एवं अद्वितीय स्थान रखती है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि पुरातनकाल में ही यहाँ पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे धर्मग्रन्थों की रचना हो गई थी। हमारे अमूल्य प्राचीन ग्रन्थों में मनुष्य की दैनिक जीवनचर्या से लेकर मृत्योपरान्त तक के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यहाँ तक की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक संस्कारों, राजा की उत्पत्ति, गुण, उसके कार्य व्यवहार, न्याय सम्बन्धी आदि मानव जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू का विशद वर्णन किया गया है। किन्तु यह अति निराशाजनक है कि राजनीति शास्त्र के अन्तर्गत हम केवल पाश्चात्य जगत् के विचारकों को ही अधिक महत्व देते हैं। राज्य, शासक, प्रजा, दण्ड, वैदेशिक संबंधो, युद्ध राजनीति के सम्बन्ध में पाश्चात्य जगत् के विचारकों को ही अधिक प्रमाणित माना जाता है। किन्तु हम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यसमृति, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र आदि का अध्ययन–मनन करेंगे तो हमें राज्य व राजनीति से सम्बन्धित प्रत्येक विषय पर स्पष्ट नीतिगत विचार मिलते हैं।

प्राचीन भारतीय विचारकों को राजनीति के क्षेत्र में उतना प्रश्रय ना प्राप्त होने के कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि भारतीय विद्वान मनीषियों ने 'राजा' से अधिक 'धर्म' को महत्ता दी है। जैसा कि कहा गया है–

न वै राज्यं राजासीत् न दण्डो न च दाण्डिकः।
धर्मणैव प्रजा सर्वा रक्षति स्म।।[1]

सृष्टि के प्रारम्भ में न कोई राज्य था न राजा, न दण्ड न ही दण्ड देने वाली कोई शक्ति, फिर भी समाज में कोई अव्यवस्था नहीं थी, क्योकि समस्त प्रजा धर्म के द्वारा परस्पर एक–दूसरे की रक्षा करती थीं। और दण्ड की आवश्यकता ही तब उत्पन्न हुई जब मनुष्य में लोभ ने प्रवेश किया और लोभ तो समस्त बुराईयों की जड़ है, मानव ने उचित व अनुचित माध्यमों से परिग्रहण करना आरम्भ कर दिया। जब सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था में परिणित होने लगी तब ऋषियों न एक शासक की आवश्यकता अनुभव की और तब ऋषियों ने मिलकर मनु को अपना शासक चुन लिया।''[2] हमारे देश की विगत हजारों वर्ष पुरानी अनुश्रुति परम्परा में मनु का नाम और चित्रित दृढ़तापूर्वक चिरन्तन सत्य के रूप में ही स्वीकार किया गया है। प्रसिद्ध टीकाकार गोविन्दराज ने भी 'वेदों' मे पारंगत महर्षि कहकर उनका परिचय दिया है तथा वे ही प्रथम प्रजापति स्वीकार किए गए हैं।''[3] पुराणों में तो उनका वंशक्रमानुगत विवरण भी उपलब्ध है। यहाँ मुख्य तथ्य यह है कि पुराणानुसार स्वांयभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामल, वैवस्वत आदि मनु माने गये हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना अलग मन्वन्तर (समय) निर्धारित किया गया है। इनमें स्वायंभुव मनु सबसे पुरातन तथा वैवस्वत मनु वर्तमान मन्वन्तर के प्रर्वतक माने जाते हैं। अब क्योंकि हमारा वर्तमान मन्वन्तर मनु वैवस्वत के नाम से ही प्रचलित है तथा उन्हीं से सूर्यवंश एवं चन्द्रवंश की समस्त शाखा–प्रशाखाओं की उत्पत्ति मानी गई है,''[4] अतः हम यहाँ अपने आदि पुरूष के रूप में उन्हें ही अपना प्रथम अर्घ्य चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

मनुस्मृति में 2500 से भी अधिक श्लोक हैं जो कि बारह अध्यायों में विभक्त हैं। अतः समस्त का अध्ययन या वर्णन यहाँ पर सम्भव न हो पाने के कारण मनु की राजनीति व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मनुस्मृति समस्त मानवता के लिए लिखी गई है।''[5] इसमें श्रेष्ठ समाज व्यवस्था के लिए विधानों–कानूनों का निर्धारण भी है और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण भी है। यह व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में रखने के लिए 'संविधान' भी है।''[6]

मनु के राजनीति सम्बन्धी विचार

मनु भारतीय राजनीति के पिता कहे जाते हैं। उनके अनुसार राजा का सर्वप्रमुख कर्तव्य जनता को शांति व सुरक्षा का वातावरण प्रदान करना है। उनके सुप्रशासन सम्बन्धी विचार आधुनिक समय के कल्याणकारी राज्य की धारणा से साम्यता लिए हुऐ प्रतीत होते हैं।''[7]

वर्तमान में प्रजातन्त्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है और मनुस्मृति के अनुसार ऋषियों द्वारा मनु को राजा चुना जाना प्रजातन्त्र भावना का ही द्योतक है। राजा की शक्तियों, कर्तव्यों, किये जाने वाले समस्त कार्यों का उल्लेख मनुस्मृति के सप्तम व अष्टम अध्यायों में वर्णित है। मनुस्मृति के अनुसार समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए ही राजा का पद बनाया गया है।

अतः राजा को आठ विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए।

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरूणस्य च।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः।।''[8]

अर्थात राजा इन्द्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्त्ता, पवन के समान सबको प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित, न्यायाधीश के समान बर्तने वाला, सूर्य के समान धर्मविद्या का प्रकाशक, अन्धकार अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरूण अर्थात् बाँधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधने वाला चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरूषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष कुबेर के समान कोषों को भरने वाला सभापति हो।''[9]

वर्तमान में भी चुनाओं के दौरान वही दल सफल होता है, जो जनता की सुख सुविधाओं का अधिकाधिक ध्यान रखते हुए अपने दल की नीतियाँ बनाता है। जनता आज भी शासक से वही सनातन अपेक्षा रखती है कि जनता को पक्षरहित समुचित न्याय मिले। यह अलग बात है कि चुनाओं में विजय प्राप्त करने के बाद दलीय नेता अपना चुनावी घोंषणा पत्र भूल जाते हैं। न्याय की बात करें तो पहले पीड़ित पक्ष को न्याय तुरंत मिल जाता था और आज वर्षों लग जातें हैं।

कानून की रक्षा एवं उसका पालन करने हेतु ही राज्य व सरकार अस्तित्व में आयी हैं। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी विचार के पश्चात प्रर्वतक थामस हाब्स का विचार यह भी है कि प्रारम्भ में अराजकता, शक्तिशाली का हित सर्वोपरि एवं मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए समस्त जनता ने मिलकर अपना एक शासक चुना, जिसे अपनी समस्त शक्तियाँ समर्पित कर दीं और उससे यह आशा की गयी कि वह समाज में सर्वकल्याण हेतु कानून एवं दडं की व्यवस्था करे।

दण्ड सम्बन्धी विचार

मनुस्मृति के अन्तर्गत जहाँ राजा को सुशासन की नीतियाँ बतायी गयी हैं, वहीं समाज में अस्थिरता लाने वाले असामाजिक तत्वों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी है। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में लिखा है–

दण्डाः शास्ति प्रजा दण्ड एवाभिरक्षति।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बधा।।''[10]

इसका तात्पर्य यही है कि प्रजा को दण्ड के भय के द्वारा अनुशासन में रखा जा सकता है, दण्ड के द्वारा ही प्रजा की रक्षा होती है जब प्रजा की सुप्तावस्था में होती तब दण्ड जागता है और एकान्त में होने वाले अपराधों को भी भय के द्वारा ही रोका जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी दण्ड भय की महत्व बताते हुए रामायण के पंचम अध्याय सुन्दर काण्ड में लिखा है– ''भय बिनु होई न प्रीति।''

राजा का स्वानुशासन

यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सर्वप्रकारेण शक्ति संपन्न होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं बन सकता, क्योंकि वह राज धर्म की शक्ति से बाध्य है। मनु राज धर्म के माध्यम से राजा की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं और उसे लोकहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन में रहकर ही कोई व्यक्ति शासक पद के लिए मनुस्मृति में वर्णित विशिष्ट गुणों से युक्त हो सकता है। मनुस्मृति के अन्तर्गत राजा की दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि उसके पास भोग–विलास के हेतु कोई अवसर ही शेष न रहे। मनु के अनुसार राज पद की गरिमा जनकल्याण में रत रहने से ही है। अथर्ववेद में भी वर्णित है कि ''ब्रह्मचर्येण तमसा राजा राष्ट्रं विरक्षति।''[11] इससे स्पष्ट है कि राजा जितेन्द्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर ही तपस्या से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है अतः स्पष्ट है कि राज्य की बागडोर संभालना तपस्वी जीवन जीने के समान है। राष्ट्र व जनता के लिए स्वयं को भूलकर, अपना सर्वस्व राष्ट्र को अर्पित कर देना, जनता के सुख में सुखी एवं दुःख में दुःखी होकर उस दुःख को दूर करना आदि ही राजधर्म का प्रमुख कर्तव्य है।

हमारे देश के स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने सर्वस्व बलिदान से ही भारतमाता को 180 साल की ब्रिटिश गुलामी से मुक्त कराया। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर आजादी की मांग की। देश की आजादी की खातिर अपना परिवार, सुख सम्पत्ति, सब त्यागकर, ब्रिटिश सरकार के निर्मम अत्याचार सहे और बिना किसी मान व माल की आशा के अपने प्राणों की आहुति तक दे दी।

यह एक विसंगति ही है कि आज भारत भूमि की भाग्यरेखा ऐसे व्यक्तियों के हाथों में है जो अपने पूर्वजों के अमूल्य बलिदान को भूल गये हैं। राजधर्म से धर्म को निकालकर स्वहित के लिए केवल राज करना चाहते हैं। देश की राजनीति अब मूल्यों और सिद्धान्तों पर नहीं चल रही। यह व्यक्तिपरक, धर्म और जाति पर आधारित होती जा रही है। आज भी चुनाव प्रक्रिया है, उसमें ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसका उद्देश्य राजनीति के माध्यम से लाभ कमाना है, जन सेवा नहीं।''[12] देश को पतन से बचाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि नेतावर्ग को समझना चाहिए कि झूठ के पांव अधिक लम्बे नहीं होते। अतः यदि दीर्घकाल तक सत्तासीन होना चाहते हैं तो जनता से जुड़कर उसकी समस्यों को समझकर उसके निदान हेतु उपाय खोजें। जैसा कि अब्राहम लिंकन का भी मानना था कि जनता के एक निश्चित भाग को प्रत्येक समय मूख बनाया जा सकता है और सारी जनता को एक निश्चित समय पर मूर्ख बनाया जा सकता है, किंतु यह कदापि संभव नहीं है कि सभी व्यक्तियों को प्रत्येक समय पर मूर्ख बनाया जा सके।''[13]

राजा एवं उसका मन्त्रिमण्डल

एक बड़े राज्य व उसकी सीमाओं का ध्यान अकेला नहीं रख सकता। अतः राजा को अपनी सहायतार्थ एक मन्त्रिमण्डल का गठन करना होता है जो कि राज– काज के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार से राजा की सहायता करे। मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मनुस्मृति बताती है कि राजा अपने ही राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के ज्ञाता, वीर कुलीन, धर्मात्मा, अनुभवयुक्त राज भक्तों की सब प्रकार से परीक्षा करके मन्त्री चुने एवं उन्हें विभिन्न विभागों में नियुक्त करें। राजा को स्वयं उनका निरीक्षण करना चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारे देश में चुनावों के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री अपने विभिन्न विभागों के लिए मन्त्रियों का चयन करते हैं उन्हें विभिन्न विभाग सौंपते है व उन्हें अपने दल, विभाग देश के प्रति श्रद्धा व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। विभागों का बँटवारा करते समय प्रधानमंत्री इस बात का विशेष ध्यान करते हैं कि प्रतिभाशाली, योग्य अनुभवी व्यक्तियों को ही विभाग का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। हालांकि वर्तमान में गठबंधन की राजनीति के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। राजनीतिक अस्थिरता के ही कारण जातिवाद, धार्मिक उन्माद, क्षेत्रीयता तथा अलगाववाद जैसी विचारधारायें आज भारत में चरम सीमा पार कर गई हैं। साथ ही अपराधी माफिया तत्वों का भी राजनीतिक में बोलबाला

हो गया है। इन अपराधी तत्वों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर जनतांत्रिक प्रणाली का विखण्डन होता जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका पूर्णतः सौदेबाजी में बदलती चली गई। राजनीतिक अस्थिरता का भंयकर दुष्परिणाम यह है कि मात्र एक सांसद वाली पार्टी भी सौदेबाजी के तहत प्रधानमंत्री पद हड़प लेने का सपना देखती है।''[14] यह सौदेबाजी की दूषित प्रथा देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

राज्य संचालन हेतु प्रशासन व्यवस्था

राज्य के सुसंचालन हेतु मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार एक–एक ग्राम में एक–एक प्रधान पुरूष को रखे, दश ग्रमों के ऊपर फिर दूसरा और बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरूष रखे अर्थात् जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया गया है।

राज्य संरक्षण के लिए मनु प्रोक्त नियंत्रण केन्द्र–कार्यालय–व्यवस्था तालिका–

1. केन्द्रीय कार्यालय राजधानी अर्थात् राजा का किला
2. प्रत्येक नगर में एक सचिवालय
3. सौ गावों पर एक मुख्य कार्यालय
4. बीस गावों पर एक कार्यालय
5. दस गावों पर एक कार्यालय
6. पाँच गावों पर एक कार्यालय
7. दो गावों पर एक कार्यालय

प्रत्येक कार्यालय का एक कर्तव्य है कि कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों को सूचित करें।

मनु ने विभिन्न श्लोकों में समुचित राज्य संचालन के लिए तीन भाषाओं की संरचना तथा उनमें काम करने वाले अधिकारियों का उल्लेख किया है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमने केवल ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है, अन्यथा आज भी भारत में मनु द्वारा उल्लिखित प्रणली का ही अनुसरण किया जा रहा है। अन्तर केवल यह है कि उन्हें सभा न कहकर 'पालिका' कहा जाता है। वर्तमान में तीन पालिकाएँ''[15] राज्य संबंधी व्यवस्थाओं को निपटाती हैं–विधानपालिका (विधान बनाने वाली परिषद्)

1. कार्यपालिका (इन नियमों को क्रियात्मक देने बाली अधिकारी)
2. न्यायपालिका (न्याय करने वाले अधिकारी)

मनु ने कर ग्रहण के सम्बन्ध में भी कहा है कि जैसे–जौंक, बछड़ा और भंवरा थोड़े–थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे ही राजा को प्रजा से थोड़ा–थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। मनु प्रोक्त करव्यवस्था सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक मान्य है। मनुसर्वप्रथम सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रर्वतक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। अन्य व्यवस्थाओं की तरह जिस करव्यवस्था का उन्होंने निर्धारण किया था, लगभग वैसी ही कर प्रणाली आज तक चलती आ रही है। इससे ज्ञात होता है कि मनु को व्यवस्थाओं और मनुस्मृति की समाज में सर्वोच्च मान्यता थी।''[16]

न्यायपालिका सम्बन्धी विचार

मनुस्मृति के अष्टम अध्याय में न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के अन्तर्गत राजा को न्यायालयों में जाकर मुकदमों के निर्णय के लिए न्याय सभा में प्रवेश की अनुमति भी दी गई थी।

दोनों ओर के साक्षियों को सुनकर ही राजा न्यायाधीश को न्याय करना चाहिएं और जो मिथ्या बोले वे यथायोग्य दण्डनीय हो। मनुस्मृति में साक्ष्य लेने की विधि का भी उल्लेख किया गया है। वादी–प्रतिवादी के साक्षियों से वकील इस प्रकार पूछे कि–'हे साक्षी लोगो! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसे सत्य के साथ बोलो, क्योंकि तुम ही इस कार्य में साक्षी हो।''[17] आज भी हमारे न्यायालयों में किसी भी व्यक्ति की गवाही लेने से पूर्व उसे भगवतगीता की शपथ दिलाई जाती है और उससे यह आशा की जाती है कि वह सत्य ही बोलेगा। असत्य गवाही देने वाले के लिए भी मनु ने दण्ड व्यवस्था की है। विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दण्ड भी मनुस्मृति में बताए गए हैं, साथ ही राज्य की सम्पत्ति अर्थात् तालाब, नदी, शस्त्र, अन्न भंडार, यज्ञशालाओं आदि को तोड़ने वालों को भी कठोर दण्ड देने के लिए कहा गया है चिकित्सक वर्ग को भी दण्ड से वंचित नहीं किया गया है।

> चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः।
> अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः।।''[18]

इसका तात्पर्य यह है कि जो चिकित्सक गलत उपचार करें उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। पशुओं की गलत चिकित्सा करने वालों को 'प्रथम साहस' का तथा मनुष्यों की गलत चिकित्सा करने वाले पर 'मध्यम साहस' का दण्ड लगाना चाहिए। चोरी, सैंध, लूट आदि के सम्बन्ध में मनु कहते हैं कि राजा को प्रमाण उपलब्ध होने पर ही किसी को अपराधी घोषित करने व दण्ड देने का अधिकार है दण्ड देते समय अपराधी की स्थिति, आयु आदि को भी ध्यान रखना चाहिए।

सृष्टि के आदिकाल से लेकर वर्तमान तक ही राजनीति व्यवस्था को मनुस्मृति विचारों एवं नीतियों का एक आधार प्रदान करती है। मनु के वचनों के सम्बन्ध में कहा है–

मनुर्वै यत्किंचावदत् तद् भैषजम्।''[19]

अर्थात् मनु ने जो कुछ भी कहा है वह मानव जाति के लिए परम औषधि के समान कल्याणकारी है। प्राचीनकाल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है। आजकल भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है और इससे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता है।''[20]

निष्कर्ष

मनु की राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात् कहा जा सकता है कि एक आदर्श एवं कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मनु ने राज्य सम्बन्धी प्रत्येक विषय की व्याख्या की है। मनु का मानना था कि राज्य के शासन में ही चारों युग होते हैं–

कृतत्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च।
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते।।''[21]

अर्थात् राजा जैसा राज्य बनाना है, उस राज्य में वही युग बन जाता है– सत्ययुग।

त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग ये सब राजा के ही आचार व्यवहार विशेष हैं। इस प्रकार राजा ही युगनिर्माता है।''[22] यह बात हमारे देश के नेतावर्ग को समझनी चाहिए। भ्रष्टाचार–बेईमानी का नारा लगाने की अपेक्षा एक बार आत्ममन्थन करके विचार करना चाहिए कि क्या वे वास्तव में भारत भूमि को प्रगति मार्ग में ले जा रहे हैं। जिस जनता ने उन्हें देश की शासन–व्यवस्था की बागडोर कल्याण एवं विकास के लिए सौंपी हैं, उससे वे वास्तव में जनहित कार्य कर रहें हैं या मात्र स्वहित में लगे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि मनु ने सामाजिक एवं राजनीति जीवन का स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित दर्शन दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त देश और काल की सीमाओं से ऊपर है।

मनु के चिन्तन की व्यापकता और उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए डा0 केवल मोटवानी लिखते हैं–मनु किसी एक राष्ट्र व जाति के न होकर सम्पूर्ण विश्व के हैं। उनकी शिक्षायें किसी एक पृथक् समुदाय, जाति या सम्प्रदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानवता के लिए हैं। वे समय की सीमा लांघकर मानव के चिन्तन तत्व से सम्बन्ध रखने वाली हैं।''[23] यह सत्य है कि मनु के प्रशासन सम्बन्धी विचार किसी एक देश के लिए नहीं, वरन् सम्पूर्ण संसार के लिए सम्बन्धित है फिर मनु के उत्तराधिकारी हम भारत वासियों की राजनीतिक व्यवस्था इतनी दूषित क्यों ? यह एक अत्यन्त गहन विचारणीय प्रश्न है।

सन्दर्भ ग्रंथ :

[1] महा0 12,59,14

[2] स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, मनुस्मृतेर्मानवर्षा भाष्यम्, प्रथमं काण्डम्, कुसुमलता आर्य प्रतिष्ठान, गाजियाबाद, पृ. 2

[3] दे ऋग्वेद संहिता (1/80/16,1/114/2,2/33/13)

[4] स्वामीदीक्षानन्द सरस्वती, पूर्वोक्त, पृष्ठ 3

[5] एम0एम0 शकधर, द मिसअण्डरस्टूड मनु, इण्डियन एक्सप्रेस, मई, 09,1994

[6] प्रो0 सुरेन्द्र कुमार, अनुवादक, मनुस्मृति, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट पृष्ठ–3,1984

[7] के0 श्री रंजनी सुब्बाराव, मनु के प्रशासन सम्बन्धी विचार, द इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वॉल्यूम– LXVI नं0 3, जुलाई–सितम्बर 2005, पृष्ठ–500

[8] मनु 07.4

[9] मनुस्मृति 7:37–53

[10] मनु07.18

[11] अथर्ववेद11/5/4

[12] सुभाष कश्यप, राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप,17 मार्च 09

[13] बी0डी0 महाजन, पॉलिटिकल थ्योरी एस चांद एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ–799

[14] तुलसीराम, राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप,17 मार्च 09

[15] प्रो0 सुरेन्द्र कुमार पूर्वोक्त, पृष्ठ–555–557

[16] उपरोक्त पृष्ठ–563

[17] मनुस्मृति, अष्टम अध्याय

[18] मनु09.284

[19] तैत्तिरीय संहिता, 2/2/10/2

[20] प्रो0 सुरेन्द्र कुमार, पूर्वोक्त, पृष्ठ–3

[21] मनु09.301

[22] मनुस्मृति नवम अध्याय

[23] पुखराज जैनः भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृष्ठ–36,1997.

***